—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री अशोक कुमार गुडेसार — प्रार्थीगण
2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल —अप्रार्थी संख्या 1 व 4
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —अप्रार्थी संख्या 8

निर्णय :—

दिनांक:— 15/04/2026

अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोक कुमार गुडेसार की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है—यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिकी व सहआशंदायी है। उक्त हिन्दू सयुक्त परिवार के कर्ता प्रार्थीया के दादा पन्नालाल थे। जहां तक प्रार्थना सम्बंध है सजरा खानदान पक्षकारान प्रस्तत किया गया है। यह कि प्रार्थीया के दादा व अप्रार्थी सं.1 के पिता व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के दादा पन्नालाल के नाम वक 34 एसटीजी के प.नं. 5/342 (29)

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी व प.नं. 8/342 (26) किला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खातेदारी इस प्रकार कुल 50 बीघा कृषि भूमि थी। पन्नालाल की मृत्यु के पश्चात पन्नालाल के वारीसान को जरिये विरासतन इन्तकाल पत्नी लक्ष्मी, पुत्री जगना देवी व दत्तक पुत्र महेन्द्र कुमार को ब.हि.ब. प्राप्त हुई। उसके बाद लक्ष्मी व जगना देवी ने अपना तमाम हिस्सा महेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र पन्नालाल को दे दिया। इस प्रकार उक्त 50 बीघा भूमि महेन्द्र कुमार के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। उसके बाद महेन्द्र कुमार ने उक्त 50 बीघा भूमि में से चक 34 एसटीजी के प.नं. 8/342 (26) किला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक, नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खातेदारी भूमि अपने पुत्र अरूण कुमार व पुत्रवधु दीपिका पत्नी अरूण कुमार को दान कर दी। शेष 25 बीघा भूमि महेन्द्र कुमार के पास रही। यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के खाता सं. 43/34 के प.नं. 5/342 (29) किला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.4 व उसकी पत्नी दीपिका के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के खाता सं. 44/35 के प.नं. 8/342 (26) किला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 व 5 में वर्णित भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है जो महेन्द्र कुमार को अपने पिता पन्नालाल से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कुल 50 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा जन्म से ही बनता है। अप्रार्थी सं.1 ने अपने हिस्सा से अधि क भूमि का दान अपने पुत्र अरूण व दीपिका को कर दिया है। जिससे प्रार्थीया के हक हकूक पर विपरीत असर पड़ा है। इसलिये प्रार्थीया अप्रार्थी सं.1 की कुल 50 बीघा कृषि भूमि जो कि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है में अपना 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है।

यह कि प्रार्थीया अपने 1/6 हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की अच्छी मंदी, काश्त की सहुलियत व खाला रास्ता अनुसार अपना खाता अप्रार्थीगण से तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने की अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थीगण आपस में एकराय व मिले हुए है। अप्रार्थी सं.1 जो कि बुर्जुग व्यक्ति है व अप्रार्थी सं.4 व उसकी पत्नी दीपिका के नाजायज दबाव में है। जिसके चलते अप्रार्थी सं.1 अपने नाम वर्णित कृषि भूमि को अपने पुत्र व पुत्रवधु के पक्ष में हस्तान्तरण करवाने पर आमाद है व अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज भूमि को अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर का की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि अप्रार्थीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के खाता सं. 43/34 के प.नं. 5/342 (29) किला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी व तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के खाता सं. 44/35 के प.नं. 8/342

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं. 1/1 ता 25 की 6.325 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खातेदारी को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई जिसपर दिनांक 16.11.21 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकि है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से जवाब निम्न प्रकार से है:— यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कथन कि प्रार्थीया की ओर से उपरोक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है। शेष कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत वाद बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया गया होने से खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे दर्शायी गई वंशावली सही होने से स्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 व 4 का सयुक्त हिन्दू परिवार हो। प्रार्थीया अपने ससुराल रह रही है जो किसी भी रूप मे अप्रार्थी के परिवार की सदस्य नही है। प्रार्थीया का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के परिवार का कभी कर्ता पन्नालाल रहा हो

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। चक 34 एस टी जी के प. न. 5/342 का किला न. 1 ता 25 व प. न. 8/342 का किला न. 1 ता 25 की कुल 50 बीघा भूमि पन्नालाल की खुद को आवटनशुदा भूमि थी जो पन्नालाल की स्वअर्जित सम्पति थी। पन्नालाल की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित भूमि पन्नालाल की पत्नी लक्ष्मी देवी, पुत्री जमना देवी व दत्तक पुत्र अप्रार्थी सं. 1 महेन्द्र कुमार को विरास्तन प्राप्त हुई। पन्नालाल की मृत्यु के पश्चात जमनादेवी व लक्ष्मीदेवी को प्राप्त हुई भूमि की जमना देवी व लक्ष्मी देवी पूर्ण स्वामिनी थी जमना देवी व लक्ष्मी देवी को प्राप्त हुई भूमि किसी भी रूप मे प्रार्थीया की पैतृक भूमि नही थी। लक्ष्मी देवी व जमना देवी ने अपनी उक्त वर्णित भूमि मे से हक व हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 को स्नेह स्वरूप दान मे दे दिया व राज्य सरकार द्वारा दी गई स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठाकर अप्रार्थी सं. 1 महेन्द्र कुमार के पक्ष मे अपने हक व हिस्से का त्याग का दस्तावेज निष्पादित किया गया जिससे उक्त वर्णित 50 बीघा भूमि के स्वामीत्व सम्बन्धी अधिकार अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त हुये अप्रार्थी सं. 1 ने अपने स्वामीत्व की खातेदारी भूमि मे से चक 34 एस टी जी के प. न. 8/342 के किला न. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर भूमि का दान अप्रार्थी सं. 4 व 5 के पक्ष मे करके उक्त भूमि के दान पत्र का दस्तावेज दिनांक 05. 07.2021 को लेखबद्ध करवाकर उसे उपपजीयक पीलीबंगा से दिनांक 06.07.2021 को पजीकृत करवाया गया तथा दानशुदा भूमि का अधिपत्य अप्रार्थी सं. 4 व 5 को सौपा गया। दिनांक 05.07.2021 से चक 34 एस टी जी के प. न. 8/342 की 6. 325 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 4 व 5 के अधिपत्य मे है। जिसके अप्रार्थी सं. 4 व 5 रिकार्डड खातेदार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण 5 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 व 5 मे वर्णित भूमि किसी भी रूप मे प्रार्थीया की पैतृक भूमि नही है तथा न ही

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गत भूमि मे किसी रूप मे प्रार्थीया का जन्म से कोई हक व हिस्सा निहित है। प्रश्नगत भूमि पन्नालाल की स्वअर्जित सम्पति थी जो पन्नालाल की मृत्यु के पश्चात पन्नालाल की पत्नी लक्ष्मी देवी व पुत्री जमना देवी तथा अप्रार्थी सं. 1 को विरासत मे प्राप्त हुई थी। पन्नालाल की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मी देवी व जमना देवी को प्राप्त हुआ हिस्सा कि वह पूर्ण स्वामीनी थी लक्ष्मी देवी व जमना देवी द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 स्नेहस्वरूप दिया गया होने से वह किसी भी रूप मे प्रार्थीया की पैतृक सम्पति नही है तथा न ही उसमे प्रार्थीया का 1/6 भाग अथवा अन्य कोई भाग प्रश्नगत भूमि मे निहित है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हक व अधिकारो की भूमि मे से चक 34 एस टी जी के प. न. 8/342 की 6. 32 5 हैक्टर भूमि का दान जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 05.07.2021 को अप्रार्थी सं. 4 व 5 के पक्ष मे किया जा चुका है। प्रार्थीया द्वारा आज तक उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र को किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौति नही दी गई है। प्रश्नगत भूमि किसी भी रूप मे प्रार्थीया की पैतक सम्पति नही होने से प्रश्नगत भूमि मे प्रार्थीया 1/6 भाग अथवा अन्य किसी भाग की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारी नही है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग पर प्रार्थीया का कभी किसी रूप मे कब्जा काश्त नही रहा। प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि के किसी भी भाग पर अधिपत्य नही होने के कारण ही प्रार्थीया ने प्रश्नगत भूमि के किस भाग पर प्रार्थीया का अधिपत्य है को कोई उल्लेख अपने वाद पत्र मे नही किया। प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि मे किसी भी रूप मे कोई हक व हिस्सा नही होने से प्रार्थीया किसी भी रूप मे खाता अलग करवाने व रकबा अलग करवाने की अधिकारिणी नही है। 8. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 8 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण की किसी भी रूप मे एक राय नही है । अप्रार्थी सं. 1 किसी भी रूप मे अप्रार्थी सं, 4 व 5 के दबाव अथवा नाजायज दबाव मे नही है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी पूर्ण स्वतन्त्र इच्छा व स्वेच्छा से दिनांक 05.07.2021 को अपनी भूमि का दान पत्र अप्रार्थी सं. 4 व 5 के पक्ष मे निष्पादित किय गया है। प्रार्थीया का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि को अजनबी व्यक्ति को अन्तरण करने के लिये किसी रूप मे प्रयासरत हो। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत मूल वाद रजिस्टर्ड दान पत्र को चुनौति देते हुये प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी रूप मे राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नही है। प्रार्थीया की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विना किसी आधार के विधिविरूद्ध से प्रस्तुत किया गया होने से प्रार्थीया को किसी रूप मे कोई नुकसान कारित नही हो रहा होने प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के विन्दू नही होने से प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 व 4 के बिरूद्ध किसी प्रकार का कोई अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र विना किसी आधार व महज अप्रार्थी सं. 1 व 4 को तंग व परेशान करने के आशय से प्रस्तुत किया गया होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करे।

स्टेट प्रतिवादी संख्या 8 निम्न प्रकार से है। –यह कि वाद पत्र की दफा 1 लाईल्मी है जिसे वादी स्वयं सिद्ध करे। यह कि वाद पत्र की दफा 2 लाईल्मी है जिसे वादी स्वयं सिद्ध करे। यह कि वाद पत्र की दफा 3 लाईल्मी है जिसे वादी स्वयं सिद्ध करे यह कि वाद पत्र की दफा 4 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की दफा 5 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की दफा 6 लाईल्मी है जिसे वादी स्वयं सिद्ध करे यह कि वाद पत्र की दफा 7 लाईल्मी है जिसे वादी स्वयं सिद्ध करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि वाद पत्र की दफा 8 लाईल्मी है जिसे वादी स्वयं सिद्ध करे। अतः जवाब स्टेट प्रस्तुत कर निवेदन है कि रास्ता, खाला की सुविधा, पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्यहित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निरतारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री अशोक चिराणिया अधिवक्ता हाजिर है जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी सख्या 3,5,7,7 बाद तलबी हाजिर नहीं होने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है।

ओदश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा में प्रार्थीया का जन्म से 1/6 हक्क हिस्सा निहित है हिस्सा से अधिक दान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अन्य वारीसान को कर दिया है जो कि सही नहीं है इस लिए अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा निरंन्तर की जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीया को यदि दान पत्र से आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में चुनौति दी जानी आवश्यक थी अप्रार्थी संख्या 1 है वह अप्रार्थी संख्या 4 के दवाब नहीं है प्रार्थना पत्र के तथ्य निराधार है खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र 2021 से जैरकार है। प्रार्थना पत्र वर्णित रकबा में बाद दान पत्र दिनांक 05.07.21 के द्वारा वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 रिकार्डिड खातेदार है प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत रकबा के दान पत्र से एजराज होने की दशा में सक्षम न्यायालय में अपील पेश किया जाना था जो आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है इस लिए प्रार्थना पत्र में इस स्तर पर रिकार्डिड खातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र 212 आरटीए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 15/04/2026 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा